आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–65/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्रीमती एतवरीया देवी एवं दो अन्य––विक्रेता

प्रति

श्री संतोष चौधरी––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता 1. एतवरीया देवी, पति–मुनेश चौधरी, 2. श्री मुखदेव चौधरी, पिता–स्व० राजेश्वर चौधरी, 3. श्री सीता राम चौधरी, पिता–स्व० राजेश्वर चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री संतोष चौधरी, पिता–श्री लक्ष्मण चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, डण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, डण्डा के पत्रांक 177/दिनांक 16.09.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, डण्डा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के मल्लाह सूरिया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता मल्लाह (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेतागण के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, डण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता 1. एतवरीया देवी, पति–मुनेश चौधरी, 2. श्री मुखदेव चौधरी, पिता–स्व० राजेश्वर चौधरी, 3. श्री सीता राम चौधरी, पिता–स्व० राजेश्वर चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री संतोष चौधरी, पिता–श्री लक्ष्मण चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

–:विक्रेता सं०–01 (एतवारी देवी) के द्वारा भूमि बिक्री का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
भिखही	305	66	946	0.11¼	उ०–कृष्णा चौधरी, द०–विशुनदेव चौधरी, पू०–मुनेश चौधरी, प०–नीज विक्रेता,
			कुल रकबा:–	0.11¼	

–:विक्रेता सं०–02 (मुखदेव चौधरी) के द्वारा भूमि बिक्री का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
भिखही	305	66	946	$0.08\frac{2}{3}$	उ०–कोमल चौधरी, द०–एतवारी देवी, पू०–संतोष चौधरी, प०–सीता राम चौधरी,
			कुल रकबा:–	$0.08\frac{2}{3}$	

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:08:05 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner